

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O)

E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./

11/8

सूरजपुर, दिनांक/22/4/2020

प्रति,

महाप्रबंधक,

एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र।

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Mahamaya Open Cast (Proposal for diversion of 200.226 Ha. of Forest land (83.676 Ha. Reserve Forest & 116.550 Ha. Revenue Forest land) for Coal Mining in Mahamaya OC project of SECL, Bhatgaon Area in Surajpur District of Chhattisgarh. Project Area - 200.226 ha. - regarding
— पंजीयन क्रमांक— FP/CG/MIN/39554/2019

- सन्दर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/एल.एम-331-261/658 दिनांक 13.03.2020
2. आपका पत्र क्रमांक/SECL/GM/BHAT/ANO(F)/2020/47 दिनांक 13.04.2020

— 00 —

विषयांकित संदर्भित पत्र में महामाया ओपन कास्ट खदान हेतु प्रस्तावित वनभूमि 200.226 हे. (आरक्षित वन 83.676 हे. एवं राजस्व वनभूमि 116.550 हे.) में गैर वानिकी उपयोग हेतु जिला सूरजपुर के सूरजपुर वनमण्डल में परिक्षेत्र प्रतापपुर अंतर्गत प्रत्यावर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित कर आवेदन नोडल कार्यालय आनलाईन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/MINNS/39554/2019 आबंटित किया गया है।

प्रकरण अंतर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार प्रस्तुत किया जाना है। निर्धारित चेक लिस्ट की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः आप वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव निर्धारित नवीन चेकलिस्ट अनुसार आवश्यक अभिलेख संलग्न कर 06 प्रतियों में (जिसके 01 प्रति में सभी मूल दस्तावेज संलग्न हो) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- निर्धारित नवीन चेक लिस्ट।

पृ. क्रमांक/मा.चि./

11/9

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित। महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के संदर्भित पत्र द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 58000 = 64000 के बैंक ड्राफ्ट वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के नाम तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जिसे वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के पी. डी. खाता में चालान क्रमांक 07 दिनांक 21.04.2020 के द्वारा जमा किया गया है।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक/22/4/2020

वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/एल.एम-331-261/659

रायपुर, दिनांक 13/03/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
सूरजपुर वनमंडल सूरजपुर
छत्तीसगढ़

विषय: — Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for MAHAMAYA OPENCAST (Proposal for diversion of 200.226 Ha. of Forest land (83.676 Ha. Reserve Forest & 116.550 Ha. Revenue forest land) for Coal mining in Mahamaya OC Project of SECL, Bhatgaon Area in surajpur District of Chhattisgarh.) PROJECT area - 200.226 ha. - regarding

संदर्भ: — आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 28.02.2020 एवं अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 18/03/2020

-00-

विषयान्तर्गत BISHRAMPUR AREA SECL द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत MAHAMAYA OPENCAST (Proposal for diversion of 200.226 Ha. of Forest land (83.676 Ha. Reserve Forest & 116.550 Ha. Revenue forest land) for Coal mining in Mahamaya OC Project of SECL, Bhatgaon Area in surajpur District of Chhattisgarh.) PROJECT हेतु कुल वन क्षेत्र-200.226 हे. सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 58,000 = 64,000/- के बैंक ड्राफ्ट वनमंडलाधिकारी कार्यालय में करें। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/MIN/39554/2019 आबंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें एवं प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त सरगुजा के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र.क्र./भू-प्रबंध/खनिज/एल.एम-331-261/659

रायपुर, दिनांक 13/03/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त सरगुजा, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
- GENERAL MANAGER, BISHRAMPUR AREA SECL, OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, JARHI, POST BHATGAON COLLIERY, SURAJPUR (C.G) - आनलाईन फॉर्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमांड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें।
वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़